पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 97/2024 **दिनांक- 23.03.2024**

प्रेस- नोट

थाना- कोतवाली

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना / इतिहास –

वादिनी मुकदमा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी पवन सोनकर पुत्र रामजिगत सोनकर साकिन पठखौली थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा से शादी करने का झांसा देकर पिछले करीब आठ वर्षों से शारीरिक संबंध बनाया गया एवं रूपये भी लिये गये। शादी की बात कहने पर गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 167/24 धारा 323,376,406,506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 23.3.24 को व0उ0नि0 रामकृपाल सोनकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पवन सोनकर पुत्र रामजीत सोनकर निवासी पठखौली थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष को समय 12.35 बजे पठखौली हाफिजपुर चौराहे से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 167/24 धारा 323/376/406/506 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त- पवन सोनकर पुत्र रामजीत सोनकर निवासी पठखौली थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास - मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम – व0उ0नि0 रामकृपाल सोनकर, का0 रोहित कुमार थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना अतरौलिया

किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण – दिनांक 20.03.2024 को वादिनी ने थाना अतरौलिया पर लिखित तहरीर दी कि रणजीत गुप्ता पुत्र रमापति गुप्ता ग्राम लहनपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री से शादी का झांसा देकर 1.5 वर्ष पूर्व से शारीरिक सम्बन्ध बनाया तथा शादी की करने की बात पर गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देते हुए शादी करने से इंकार कर दिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 87/24 धारा 376,323,504,506 भादवि व धारा 31द ध व 325 SC/ST एक्ट व 3/4 पोक्सो एक्ट बनाम 1. रणजीत गुप्ता पुत्र रमापति गुप्ता निवासी लहनपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 23.03.2024 को उ0नि0 धनजी सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रणजीत गुप्ता पुत्र रमापति गुप्ता ग्राम लहनपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को बस स्टैण्ड अतरौलिया के पास से समय 10.30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0- 87/24 धारा 376,323,504,506 भादवि व धार 31द, ध व 325 SC/ST एक्ट व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त – रणजीत गुप्ता पुत्र रमापति गुप्ता ग्राम लहनपट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

पूर्व का आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 धनजी यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. का0 प्रवीण कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. का0 रिजवान थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना सरायमीर

हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक- 21.03.2024 वादिनी मुकदमा फूलमती पुत्री बलराज ग्राम कौरागहनी थाना सरायमीर आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि मेरे बड़े भाई रामबली व चन्द्रेश आपस में मन मोटाव था उसी को लेकर बड़े भाई रामबली को जान से मारने की नियत से भाई चन्द्रेश के पेट में चाकू मार दिया जिससे उसकी हालत गम्भीर है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 132/2024 धारा 307 भादवि बनाम रामबली उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आज दिनांक 23.03.2024 को वांछित अभियुक्त रामबली को उसके घर से दबिश देकर गिरफ्तार कर चालान मा0न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 23.03.2024 उ0नि0श्री अखिलेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामबली पुत्र बलराज निवासी कौरा गहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को घटना में प्रयुक्त 01 चाकू के साथ अभियुक्त के घर ग्राम कौरा गहनी से समय करीब 07.30 बजे गिरफ्तार करते हुए चालान मा0न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 132/2024 धारा 307 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ व धारा 4/25 आयुध अधि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त- रामबली पुत्र बलराज निवासी कौरा गहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः- घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1.उ0नि0 अखिलेश कुमार यादव मय हमराह,थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना- बरदह

अपहरण के अभियोग में 01 गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास– दिनांक 21.03.24 को वादी मुकदमा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक 20/03/2024 को समय लगभग शाम चार बजे मेरी पुत्री उम्र करीब साढ़े सोलह साल को अंकित यादव s/o फुलचन्द यादव निवासी ग्राम जिवली थाना बरदह आजमगढ़ ने बहला फुसला कर भगा ले गया है कि उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 92/24 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया है।

दौरान विवेचना दिनांक 22.03.24 को अपहृता की बरादमगी करते हुए अग्रिम कार्यवाही की गयी। आज दिनांक 23.04.24 को मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 जुबेर अहमद मय हमराह द्वारा अभियुक्त अंकित यादव उपरोक्त को खराट तिराहा से समय 09.15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण– आज दिनांक 23.04.24 को उ0नि0 जुबेर अहमद मय हमराह द्वारा अभियुक्त अंकित यादव उपरोक्त को खराट तिराहा से समय 09.15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया है।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 92/24 धारा 363/366 भादवि थाना बरदह आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः- अंकित यादव s/o फुलचन्द यादव निवासी ग्राम जिवली थाना बरदह आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 जुबेर अहमद मय हमराह थाना बरदह, आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

01.थाना जहानागंजः हत्या के आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 02 हजार रूपये जुर्माना

➡ दिनांक-09.05.2008 को वादी मुकदमा सुरेश यादव पुत्र मजनू यादवव निवासी भगवापुर लठवा थाना तरवां आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी इन्द्रेव राजभर पुत्र द्वारिका राजभर निवासी थाना जहानागंज जनपद आजगमढ़ द्वारा अवैध असलहा से हत्या की घटना कारित की गयी थी।

➡अभियुक्त के विरूद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 249/2008 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 22.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त इन्द्रेव राजभर पुत्र द्वारिका राजभर निवासी थाना जहानागंज जनपद आजगमढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।